

प्रेषक -

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रैडक्रास सोसायटी, हिसार।

प्रेषित -

नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी,
उपायुक्त कार्यालय, हिसार।

पत्र क्रमांक- RC/RTI/2021-22/54

दिनांक 12/4/2021.

विषय : जन सूचना अधिकार नियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र स्थानांतरित करने बारे।

उपरोक्त विषयधीन मामले बारे आपको अनुरोधपूर्वक अवगत करवाया जाता है कि डॉ. संदीप कुमार गुप्ता, निवासी-1722, सैक्टर-14 हिसार को उनके द्वारा लगाई गई आर.टी.आई. जोकि आपके पत्र क्रमांक-2020-21/आर.टी.आई दिनांक-11/01/2021 के तहत दिनांक-13/01/2021 को प्राप्त हुई थी, का जवाब इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक-RC/RTI/2020-21/1478 दिनांक-09/02/2021 को (पेज नं.-01 से 07 तक) पंजीकृत डाक के तहत भेज दिया गया था। जिसकी प्रति आपकी सेवा में भी प्रेषित की गई थी।

अतः आपको अनुरोधपूर्वक अवगत करवाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उपायुक्त कार्यालय से ही जानकारी उपलब्ध करवाने बारे लिखा है।

संलग्न- पत्र क्रमांक-1478 दिनांक-09/02/2021 के तहत प्रेषित सूचना की छायाप्रतियां। (पेज नं.-01 से 07 तक)

o/c

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रैडक्रास सोसायटी, हिसार।

पत्र क्रमांक-आर.सी./2021-22/55.....

दिनांक 12/4/2021.

1. इसकी प्रति डॉ. संदीप कुमार गुप्ता, मकान नं.-1722, सैक्टर-14 हिसार को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक-24/03/2021 जोकि SPIO O/o Deputy Commissioner, Hisar को सम्बोधित है, के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

Received on

o/c

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव

New

Registered - Post

प्रेषक

सचिव एवं जन सूचना अधिकारी,
भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी,
जिला शाखा, हिसार।

प्रेषित

डा. सन्दीप कुमार गुप्ता
1722, सैक्टर 14, हिसार, 125001
(हरियाणा)

क्रमांक RC/RTI/2020-21/1478

दिनांक 09/2/2021

विषय :- जन सूचना अधिकारी नियम 2005 के की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्थानांतरित करने बारे।

सन्दर्भ : आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2020 जोकि उपायुक्त, हिसार के कार्यालय पत्र क्रमांक-20-21/आर0टी0आई0 दिनांक 11.01.2021 के माध्यम से उपरोक्त विषय के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2021 के तहत बिन्दु संख्या 1 के तहत मांगी गई सूचना बारे आपको अनुरोधपूर्वक अवगत करवाया जाता है कि जिला उपायुक्त भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा का प्रधान होता है तथा इनकी स्वीकृति/आदेशों के उपरान्त ही भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा का कार्य आरम्भ किया जाता है।

अतः भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ या सरकार के अन्य विभागों से जो भी आदेश / पत्र आगामी कार्यवाही हेतु जिला शाखा को प्राप्त होते हैं उसकी प्रथम उपायुक्त एवं महोदय से ली जाती हैं। तत्पश्चात् किसी कार्य को आरम्भ किया जाता है।

संलग्न :- उपायुक्त महोदय की स्वीकृति तथा पत्राचार की द्वारा प्रतियां पत्र सं. 01 सं. 07 तम

[Signature]
सचिव

पृ० क्रमांक RC/RTI/2020-21/1479

दिनांक 09/2/2021

इसकी प्रति नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी, हिसार को उनके पत्र क्रमांक 20-21/आर0टी0आई0 सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

[Signature]
सचिव

[Signature]
Secretary

सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) हिसार

विषय :

PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE

उपरोक्त विषय एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-183 दिनांक-12/02/2019 के तहत सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ से पत्र व्यवहार करके सूचना मांगी गई थी कि ड्राइविंग लाइसेंस नया व नवीनीकरण के लिए प्रोफेशनल प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण की अवधि बारे बताया जाए। इस संदर्भ में उनके कार्यालय पत्र क्रमांक-5804 दिनांक-22/02/2019 (पताका-क) के तहत इस जिला शाखा को लिखा है कि Proposal for the Rule For Basic First Aid Training for Driving License के प्रशिक्षण हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय जिला सैंट जॉन शाखा हिसार में एक दिन की बेसिक फर्स्ट प्रशिक्षण देने की अनुमति ली जा सकती है। यह प्रशिक्षण केवल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान्य होगा तथा यह भी दर्शाया गया है कि प्राथमिक सहायता प्रोफेशनल प्रमाण-पत्र इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रार्थी को सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

सैंट जॉन एम्बुलैंस जिला शाखा हिसार द्वारा एक दिवसीय बेसिक फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देने उपरांत जिला शाखा हिसार द्वारा प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र अपने लेवल पर जारी किया जाए। यह प्रमाण-पत्र केवल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ही होगा। इस प्रशिक्षण से संबंधित हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा एक प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र (पताका-ख) हेतु भेजा गया है, प्रोफार्मा का भी अवलोकन करने का कष्ट करें जोकि साथ संलग्न है, के अनुसार ही प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। उपरोक्त प्रशिक्षण जिला शाखा फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, सिरसा, झज्जर व गुरुग्राम में भी शुरू किया हुआ है। राज्य शाखा द्वारा जारी पत्र (पताका-ग) संलग्न है।

अधिकारीगण उचित समझे तो एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण की फीस 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी जिसमें प्रमाण-पत्र की कीमत, प्रवक्ता का मानदेय शामिल होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक-1842-1863 दिनांक-03/07/2019 (पताका-घ) के तहत प्रवक्ता का मानदेय अधिकतम 30/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति से दिया जा सकता है। यह मानदेय 15/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रस्तावित किया जाता है। हरियाणा राज्य शाखा द्वारा फीस व मानदेय के बारे में और कोई हिदायत जारी होती है तो पुनः उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार के लिए रैडक्रास भवन हिसार, उपमण्डल अधिकारी (ना.) नारनौद व हांसी के लिए सहमति अनुसार हांसी व नारनौद में तथा उपमण्डल अधिकारी (ना.) बरवाला के लिए बरवाला में संबंधित उपमण्डल अधिकारी से सम्पर्क करके उचित स्थान देखकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Judh Singh
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

F:\INDIA\DTO\work\DTO Part-3 746

सचिव

स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

Rajesh
26/08/19.

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

DTO

Singh *Rajesh* *A. J. D.*
Secretary
Indian Red Cross Society

Q. H.
2018

Rajesh
29/08/19.

THROUGH HUMANITY TO PEACE

ST. JOHN AMBULANCE (INDIA)

HARYANA STATE CENTRE

RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
THE GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
THE CHIEF MINISTER, HARYANA

Vice Chairman
Dr. Mukesh Aggarwal



State Secretary
D.R. Sharma

Phone : (o) : 0172-2543889, 2546330

Fax : 0172-2546328

(R) : 2747031

www.haryanaredcross.org

e-mail : haryanastateredcross@gmail.com

Recd. No... 528

Date... 01/03/19

St. John/Ruling/HR/2018-19/5804

Dated 22-02-2019

Joint Secretary,
District St. John Centre,
Hisar (HR).

DTO
Rajesh
01/03/19

Subject: PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE.

1. Reference your office letter No. St. John/2018-19/183 dated 12-02-2019 on the subject cited above.
2. It is intimated that you may obtain permission from the Deputy Commissioner-cum-President, District St. John Centre, Hisar for the One Day Basic First Aid Training for the candidates who want to obtain Driving License only.
3. First Aid professional certificates will not be issued to the candidates of this training by the St. John Ambulance (India), National Headquarters, New Delhi. District St. John Centre, Hisar may issue Basic First Aid training certificates to the candidates for Driving License at their own level with the approval of Deputy Commissioner. A copy of the approval may also be sent to this office.

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

State Secretary

Secretary

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
TRANSPORT COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH
परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़

All DMS (c)-cum Registering and
Licensing Authorities
in the State.

17334-94

Memo No. AT-3/ST-I

Dated: 28-3-17

Subject: First Aid Training for drivers.

Please refer to St. John Ambulance (India) Haryana State
letter No. StJohn/2016-17/3517 dated 03.02.2017 on the subject cited
above.

In this regard, it is apprised that first aid training is
mandatory for the issuance of the driver and conductor licence as per
the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Haryana
Motor Vehicles Rule, 1993. You are advised to adhere to the above
mentioned rules at the time of issue of Driver and Conductor licence.

for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Endst. No. / 17395 AT-3/ST-I

dated: 28-3-17

A Copy of above is forwarded to State Secretary, St. John
Ambulance (India) Haryana State Center, Sector-16, Chandigarh for
information.

for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar
(Haryana)

Office: 30 Bays Building, 2nd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India)

Phone: 172-2784359, 2701290, 2700541 Fax: 81(0172)2700514 e-mail: stcharyana@hry.nic.in website: haryanatransport.gov.in

कार्यालय: 30 खण्ड बिल्डिंग, दूसरा तल, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़-160017 (भारत)

3

Handwritten notes: 28/3/17 P.M.

JOHN AMBULANCE (India)

HARYANA STATE BRANCH
RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
CHIEF MINISTER, HARYANA

Dr. Mukesh Aggarwal
Vice Chairman



State Secretary
D.R. Sharma

Phone : (o) : 0172-2543889, 2546330

Fax : 0172-2546328

(R) : 2747031

www.haryanaredcross.org

e-mail : haryanastaloredcross@gmail.com

Dated 30/5/18

St. John/Ruling/2018-19/ 2015-2036

DTO

Rakhi
06/06/18

Receipt No. 171

Date 6/6/18

All Hony. Secretaries,
District St. John Centres
Haryana.

Subject: First Aid training for Drivers and Conductors.

1. It is to inform you that the office of Transport Commissioner, Haryana, Chandigarh has informed to all SDMs (c)-cum-Registering and Licensing Authorities in the State vide their office memo No. 17334-94/AT-3/ST-1 dated 28-03-2017 that First Aid training is mandatory for the issuance of the Driver and Conductor License as per the Motor Vehicles Rules, 1989 and 1993 (copy of letter is enclosed)
2. It has been advised to the SDMs (c)-cum-Registering and Licensing Authorities in all districts of Haryana to adhere the Motor Vehicle Rules at the time of issue of Driver and Conductor license.
3. You are also requested to contact with the SDMs(c)-cum-Registering and Licensing Authority of your district to ensure First Aid training to Driver and Conductor before issue of the license.

State Secretary

Encl.: As above
Copy to :

The Transport Commissioner, Haryana, 30 Bays Building, 2nd Floor, Sector-17, B, Chandigarh for information with reference to their office endst. No. 17395/AT-3/ST-1 dated 28-03-2017 for information, please.

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

State Secretary

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

प्रेषक :

उपायुक्त, हिसार।

प्रेषित :

उपमण्डल अधिकारी (ना.) एवं
वाहन पंजीकरण प्राधिकरण
हिसार, हांसी, बरवाला, नारनौद।

क्रमांक 2.01.9-2.01.15570/58


दिनांक 02.01.2019


विषय : वाहन लाईसेंस (नया व नवीनीकरण) हेतु प्राथमिक सहायता प्रमाण-पत्र
अनिवार्य करना।


उपरोक्त विषय पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ के (संलग्न) पत्र क्रमांक-17334-94/ए.टी.-3/एस.टी.-1 दिनांक-28/03/2017 जोकि आपको प्रेषित है, में अवगत करवाया गया है कि केन्द्रीय वाहन नियम 1989 व हरियाणा वाहन नियम 1993 के प्रावधान अनुसार चालक व परिचालक लाईसेंस जारी करने से पूर्व प्रार्थी के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ ने अपने सन्दर्भित पत्र में चालक व परिचालक लाईसेंस जारी करने के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। रैडक्रास संस्था ने उपरोक्त हेतु एक दिवसीय प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण शुरू कर दिया है।

अतः राज्य परिवहन आयुक्त, चण्डीगढ़ के निर्देशानुसार चालक लाईसेंस (नया व नवीनीकरण) जारी करने से पूर्व सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) जिला शाखा हिसार द्वारा जारी एक दिवसीय फर्स्टएड (बेसिक) का प्रमाण-पत्र लेकर लाईसेंस जारी करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- पत्र की छाया प्रति।


Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar


उपायुक्त, हिसार।
Deputy Commissioner
06/01/19


Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

ST. JOHN AMBULANCE (INDIA)

HARYANA STATE CENTRE
RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
THE GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
THE CHIEF MINISTER, HARYANA

Vice Chairman
Dr. Mukesh Aggarwal



State Secretary
D.R. Sharma

Phone : (o) : 0172-2543889, 2546330

Fax : 0172-2546328

(R) : 2747031

www.haryanaredcross.org

E-mail haryanastateredcross@gmail.com

Receipt No. 335...

Date... 27/9/19

731/EC/2019-20/

Dated

All the Deputy Commissioners-cum-Presidents,
District St. John Centres in Haryana

Subject: Action taken on the minutes of the Managing Committee meeting of St. John Ambulance (India), Haryana State Centre held on 30th August, 2019.

It is intimated that Managing Committee meeting of St. John Ambulance (India), Haryana State Centre was held on 30th August, 2019 under the Chairpersonship of Hon'ble Governor-cum-President, St. John Ambulance ((India), Haryana State Centre, Chandigarh. The minutes of the meeting are being sent separately to all the members of the Managing Committee for information and further necessary action. The action on the following point is to be taken by your goodself as per resolution. You are, therefore, requested to take action accordingly on the point mentioned below and action taken report may be sent to this office for compliance and onward submission to Hon'ble Governor-cum-President:-

Item No. : Proposal : Resolution

8. वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा इसी सन्दर्भ में सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा से अनुरोध किया गया था कि सभी वाहनचालकों के लिए प्राथमिक सहायता को अनिवार्य कर दिया जाए ताकि सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके एवं घायल व्यक्ति को भी स्वयं को प्राथमिक सहायता देने में निपुणता हो और वह सड़कों की हालत में न जाए।

इस कार्यालय के अनुरोध पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 17334-94 AT-3/ ST-1 दिनांक 28.03.2017 से हरियाणा प्रदेश के सभी उप-मंडल अधिकारी (नाओ) एवं पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों को वाहन चालक का लाइसेंस जारी करने पर प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया था।

राज्य सचिव सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र ने सदन को अवगत कराया कि एक दिवसीय प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। सदन में विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया तथा यह भी पारित किया गया कि परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र एवं जिला केन्द्रों द्वारा प्रदत्त एक दिवसीय वेसिक प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल करके सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को अवगत कराएंगे।

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. P... - Hisar

Contd...2

Secretary

Indian Red Cross Society

11 जिला सेंट जॉन शाखाओं फरीदाबाद, फतेहबाद, गुरुग्राम, नारनौल, पानीपत, रिवाड़ी, झज्जर, कुरुक्षेत्र, मेवात, नारनौल और सिरसा द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्तियों को एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसको सम्बन्धित जिले के पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा अनिवार्य किया है। कुछ जिलों में सम्बन्धित उप-मंडल अधिकारी (ना0) एवं पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों ने यह कहा कि वे प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण को वाहन चालकों के लिए तभी अनिवार्य करेंगे जब प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल किया जाएगा। इस सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा चन्डीगढ़ को पत्र क्रमांक St.John/Ruling/2018-19/4608 दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा सेंट जॉन एम्बुलेंस हरियाणा एवं जिला केन्द्रों द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल करने बारे अनुरोध किया जा चुका है।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि परिवहन विभाग हरियाणा को सभी वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के प्रमाण पत्र को राज्य परिवहन के पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शीघ्र अतिशीघ्र शामिल किए जाने का अनुरोध किया जाए तथा चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण की फीस निम्नानुसार निर्धारित कर ली जाए:-

1. दो तीन एवं चार पहिया वाहन चालकों के लिए फीस 300/-रुपए प्रति व्यक्ति।
2. प्रशिक्षण अवधि कम से कम चार तथा अधिकतम छः घण्टें।
3. बेसिक प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला सेंट जॉन केन्द्र द्वारा जारी किया जाएगा।
4. वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर प्राथमिक सहायता का बेसिक प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।

..... सूचनाार्थ एवं अनुमोदनार्थ

Honorarium to the Lay Lecturers has been fixed @ Rs. 15/- per candidate for this one day basic First Aid training. The specimen of the Certificate for this One Day Basic First Aid Training to be issued by the District St. John Centre is also enclosed.

SAC
State Secretary

Copy to: 3237-3258

dt/17/09/2018

All Hony. Secretaries, District St. John Centres in Haryana for information and compliance. It should be ensured that number of candidates in a batch should not be more than 30-40. Before issuing certificates, the Lay Lecturer will verify the list of candidates after putting his/her seal and signature upon the list. After then the certificate will be signed by the District Training Officer or Incharge of St. John if the post of DTO is vacant. It should be ensured if any district will breach the terms and conditions, then the Hony. Secretary, District St. John Centre will be fully responsible and answerable the same.

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

State Secretary

Secretary

प्रेषक

नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

प्रेषित

1. तहसीलदार हिसार।
2. रेडक्रॉस सोसाइटी, हिसार।

क्रमांक ~~220~~-21/आर0टी0आई0

दिनांक

Receipt No. 466

Date. 13/1/21

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्थानांतरित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री संदीप कुमार गुप्ता 1722, सेक्टर 14, हिसार-125001. का आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2021 इस कार्यालय में 11.01.2021 को प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित करके अनुरोध सहित लिखा जाता है कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है।

अतः वांछित सूचना प्रार्थी को नियमानुसार सीधे ही उपलब्ध करवाकर इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें। यदि मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो संबंधित को भेजने का कष्ट करें।

सलग्न:- उपरोक्त

कृते: नगराधीश एवं राज्य जनसूचना अधिकारी।
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

gh
11/01/21

पृ0 क्रमांक /आर0टी0आई0 दिनांक

इसकी एक प्रति श्री संदीप कुमार गुप्ता 1722, सेक्टर 14, हिसार-125001. का आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2021 के सदर्थ में भेजकर लिखा जाता है कि आपका आर0टी0आई0 आवेदन पत्र आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा (3) के अंतर्गत तहसीलदार हिसार, रेडक्रॉस सोसाइटी, हिसार को स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः आगामी पत्राचार उनसे करने का कष्ट करें।

कृते: नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hissar
(Haryana)

By mail
Gmail

RTI DC Hisar. <spiodchsr@gmail.com>

Electronic filing of RTI application-Attention SPIO O/O Deputy Commissioner,
Hisar

sandeep kumar gupta <sandeepguptahsr@gmail.com>
To: spiodchsr@gmail.com

Sun, Jan 10, 2021 at 9:47 PM

Sir,

VIP Please supply the following certified information:

1. Certified copy of the powers vested in the Deputy Commissioner, based on which the enclosed orders (No 2019-20/155-158 dated 09.09.2019) were issued in violation of Motor Vehicle act.
2. Please supply the copy of instructions/rules/directions based on which the amount of Rs 300.00 as intkal fee per property registration is charged in cash in the office of Registrar (Tehsildar), Hisar and not by online mode.
3. Please supply the copy of instructions/rules/directions based on which the amount of Rs 300.00 as photography charges per property registration is charged in cash in the office of Registrar (Tehsildar), Hisar and not by online mode. Please also supply the copy of orders/instructions showing amounts fixed by the competent authority to be charged as photography charges/fee.

The application fee of Rs 10.00 has been deposited in the Government Treasury electronically. The copy of the challan is enclosed as attachment. The intimation regarding additional fee may be sent by this email address. the information be supplied by way of speed post or registered post or registered parcel whichever is cheapest.


Regards,


Dr. Sandeep Kumar Gupta


1722, Sector 14, Hisar-125001, INDIA

Phone: 91-99929-31181

3 attachments

 sandeep aadhar card.pdf
30K

 CamScanner 09-30-2020 15.24.11-2.pdf
266K

 ExportedReport (1).pdf
26K

Receipt No...10.....

Date...09/4/21...

प्रेषक

नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

Asstt (J)
Rahs

प्रेषित

राज्य जन सूचना अधिकारी,
जिला रेडक्रास सोसाइटी, हिसार।

क्रमांक 448 /आर0टी0आई0 दिनांक 06/04/21
विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र
स्थानांतरित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर संदीप कुमार गुप्ता, म0 नं0 1722, सैक्टर-14, हिसार का आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 24.03.2021 को प्राप्त हुआ जिसकी प्रति जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित करके अनुरोध सहित लिखा जाता है, कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है।

अतः वांछित सूचना प्रार्थी को नियमानुसार सीधे ही उपलब्ध करवाकर इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करे। यदि मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो संबंधित को भेजने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क 10/- रु ई-चालान कॉपी साथ सलग्न की गई है। यदि अन्य कोई भी शुल्क हो तो वह आवेदक से उपरोक्त कार्यालय द्वारा सीधे ही लिया जाना है।

सलग्न:- उपरोक्त

कृते: नगराधीश एवं राज्य जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

Sh

पृ0 क्रमांक /आर0टी0आई0 दिनांक
इसकी एक प्रति संदीप कुमार गुप्ता, म0 नं0 1722, सैक्टर-14, हिसार हिसार को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2021 के सदर्थ में भेजकर लिखा जाता है, कि आपका आवेदन पत्र आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत राज्य जन सूचना अधिकारी, जिला रेडक्रास सोसाइटी, हिसार को स्थानांतरित किया जाता है। आगामी पत्राचार उनसे करने का कष्ट करें।

कृते: नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

166117 001 - 240004 1021 2021 - 1417
Gmail Electronic file of RTI application-Attention SPIO O/O Deputy Commissioner Hisar

94165-32709 Real Com
Vagish

RTI DC Hisar. <spiodchsr@gmail.com>

Electronic file of RTI application-Attention SPIO O/O Deputy Commissioner Hisar

Wed, Mar 24, 2021 at 7:29 AM

Sandeep kumar gupta <sandeepguptahsr@gmail.com>
To: spiodchsr@gmail.com

Madam/Sir,

- Please supply the following information under RTI act:
 1. Please intimate when the enclosed letter was received in the office of Deputy Commissioner, Hisar and what action has been taken subsequent to its receipt and who is dealing with the matter.
 2. Certified copy of the powers vested in the Deputy Commissioner, based on which the enclosed orders (No 2019-20/155-158 dated 09.09.2019) were issued in violation of Motor Vehicle act. Please do not forward the RTI application to Red Cross as they do not possess the information and that information is available with the DC office only.

The application fee of Rs 10.00 has been deposited in the Government Treasury electronically by GRN No 0075406147 dated 24.03.2021. The intimation regarding additional fee may be sent by this email address.

[Quoted text hidden]

4 attachments

- sandeep aadhar card.pdf 30K
- Adobe Scan 12 Feb 2021 (1).pdf 366K
- eChallan3.pdf 14K
- CamScanner 09-30-2020 15.24.11-2.pdf 266K

प्रति आपका आवेदन प्राप्त हुआ है। 21/94 का पत्र
 महीने के अंत में प्रेषित किया गया है। एचआरए के द्वारा
 सहायता प्राप्त की जा रही है। C.B.A 211 का नं 5229 सिविल नं
 से मिला जा चुका है।
 18/3/21
 21/3/21

प्रेषक,

महानिदेशक

तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला।

सेवा में,

उपायुक्त, हिसार।

पत्र क्रमांक/CM Window Complaint/21/ 94

/ विश्वविद्यालय

दिनांक - 3/02/21

विषय- शिकायतों की जाँच करने बारे।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि डॉक्टर संदीप गुप्ता, मकान नंबर 1722 सेक्टर-14, हिसार के द्वारा गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के विरुद्ध शिकायत नंबर CMOFF/N/2021/000376, CMOFF/N/2018/145037, CMOFF/N/2020/061261 & CMOFF/N/2020/61264 (प्रतियाँ संलग्न) मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से दायर की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा जब इन शिकायतों का निपटान किया गया तो, शिकायतकर्ता उससे संतुष्ट नहीं है।

इन शिकायतों के निपटान की कार्यवाही से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होने पर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए बार-बार इस कार्यालय को शिकायत दिनांक 09-01-21, 13-1-21 एवं 21-1-21 भेजी गई है (प्रतियाँ संलग्न)।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि मामले की जाँच करके रिपोर्ट एक सप्ताह तक इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें।

संलग्न/उपरोक्त

अपर-निदेशक,

कृते - महानिदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला।

पत्र क्रमांक 95-96

/ विश्वविद्यालय

दिनांक- 3/02/21

इसकी एक प्रति -

1. कुलसचिव, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि जाँच अधिकारी/उपायुक्त कार्यालय हिसार के द्वारा मांगे गए दस्तावेज बिना किसी विलम्ब के उनको उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

डॉक्टर संदीप गुप्ता, मकान नंबर 1722 सेक्टर-14, हिसार को उनकी शिकायत CMOFF/N/2021/000376, CMOFF/N/2018/145037, CMOFF/N/2020/061261 & CMOFF/N/2020/61264 जोकि गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के विरुद्ध की गई थी के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित की जाती है।

Report ERK

Gant Day

Rishi

Rishi

24/03/21

Rishi

अपर-निदेशक,

कृते - महानिदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला।

E - CHALLAN
Government of Haryana

Candidate Copy

(Cash)
21 (Chq./DD)



5406147

Date: 24 Mar 2021 07:23:17

0364-mini sectt hisar

Hissar

(2020-21) One Time

Head of Account	Amount	₹
0070-60-800-86-51 Other Receipts	10	
PD AcNo	0	
Deduction Amount:	₹	0
Total/Net Amount:	₹	10
₹ Ten Rupees		

Tenderer's Detail

GPF/PRAN/TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId:-

PAN No:

Tenderer's Name: sandeep gupta

Address: 1722 sector 14 hisar - 125001

Particulars: abc

Cheque-DD-
Detail:

Depositor's Signature

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN/Ref No: 000150963118324032021

Payment Date: 24/03/2021

Bank: SBI Aggregator

Status: Success

DDO Code: 0364

E - CHALLAN
Government of Haryana

AG/ Dept Copy

Valid Upto: 31-03-2021 (Cash)
25-03-2021 (Chq./DD)



GRN No.: 0075406147

Date: 24 Mar 2021 07:23:17

Office Name: 0364-mini sectt hisar

Treasury: Hissar

Period: (2020-21) One Time

Head of Account	Amount	₹
0070-60-800-86-51 Other Receipts	10	
PD AcNo	0	
Deduction Amount:	₹	0
Total/Net Amount:	₹	10
₹ Ten only		

Tenderer's Detail

GPF/PRAN/TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId:-

PAN No:

Tenderer's Name: sandeep gupta

Address: 1722 sector 14 hisar - 125001

Particulars: abc

Cheque-DD-
Detail:

Depositor's Signature

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN/Ref No: 000150963118324032021

Payment Date: 24/03/2021

Bank: SBI Aggregator

Status: Success

उपायुक्त, हिसार।

DL Case 2017

10/9/17

उपमण्डल अधिकारी (ना) एवं
वाहन पंजीकरण प्राधिकरण
हिसार, हांसी, बरवाला नारनौद।

क्रमांक 113/2017/155601/8

दिनांक 09/09/2017

विषय : वाहन लाईसेंस (नया व नवीनीकरण) हेतु प्राथमिक सहायता प्रमाण-पत्र
अनिवार्य करना।

उपरोक्त विषय पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ के (संलग्न) पत्र
क्रमांक-17334-94/ए.टी.-3/एस.टी.-1 दिनांक-28/03/2017 जोकि आपको प्रेषित है, में अवगत
कराया गया है कि केन्द्रीय वाहन नियम 1989 व हरियाणा वाहन नियम 1993 के प्रावधान
अनुसार चालक व परिचालक लाईसेंस जारी करने से पूर्व प्रार्थी के लिए प्राथमिक सहायता का
प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। परिवहन अयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ ने अपने संदर्भित पत्र में चालक
व परिचालक लाईसेंस जारी करने के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है।
राज्य सरकार ने उपरोक्त हेतु एक दिवसीय प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण शुरू कर दिया है।

अतः राज्य परिवहन आयुक्त, चण्डीगढ़ के निर्देशानुसार चालक लाईसेंस
(नया व नवीनीकरण) जारी करने से पूर्व सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) जिला शाखा हिसार द्वारा
जारी एक दिवसीय फर्स्टएड (बेसिक) का प्रमाण-पत्र लेकर लाईसेंस जारी करना सुनिश्चित
करें।

संलग्न- पत्र की छाया प्रति।

उपायुक्त, हिसार।
Deputy Commissioner
HISAR

A. Hest
11/9/17